

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/2019-20/

दिनांक :

उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर।

विषय : पेयजल सम्बन्धित निर्माण कार्यो की वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग : उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर का पत्रांक एफ-5/निर्माण /टीएडी/2020-21/2476-77 दिनांक 22.02.2021।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 22538-82 दिनांक 25.09.2020 द्वारा गौतमेश्वरनाथ महादेवजी से प्राकृतिक बहाव के जल को टांके में स्टोरेज कर पाईप लाईन द्वारा नयागुडा एवं भादवीगुडा ग्राम में पहुचाने का कार्य ग्राम पंचायत मदरडा पंचायत समिति गोगुंदा जिला उदयपुर राशि रु. 15.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई एवं कार्यकारी एजेन्सी पंचायत समिति नियुक्त किया गया।

प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम मे तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना प्राप्त होने से निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या-2 मे वर्णित कार्यो हेतु कॉलम संख्या-6 मे वर्णित राशि की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है -

क्र.स.	पेयजल का नाम व स्थान	ग्रा.प.	पं.स.	(राशि लाखो मे)	
				तकनीकी स्वीकृति क्र/दि	राशि
1	2	3	4	5	6
1	गौतमेश्वरनाथ महादेवजी से प्राकृतिक बहाव के जल को टांके में स्टोरेज कर (वाटर स्टोरेज टैंक निर्माण) पाईप लाईन द्वारा नयागुडा एवं भादवीगुडा ग्राम में पहुचाने का कार्य ग्राम बावडी (विजय बावडी)।	मदरडा	गोगुंदा	AEN/PS/ GOGUNDA/ 254/ 01.02.2021	15.00

उपरोक्त कार्य हेतु संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत पेयजल-शासन की स्वीकृति संख्या-19/2019-20 मे प्राप्त राशि मे से राशि का व्यय करने की स्वीकृति जारी की जाती है। स्वीकृत लागत राशि रु. 15.00 लाख की 80 प्रतिशत राशि रु. 12.00 लाख उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को हस्तांतरित करने की स्वीकृति जारी की जाती है।

शर्त:-

- यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी मद/योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो सूचित किया जावे। दोहरा व्यय की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
- समय पर निविदाएं आमंत्रित करवाई जावे। कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्धि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।
- राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 जीएफएण्डएआर की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य गुणवत्तापूर्वक किया जावे।
- राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार गुणवत्तापूर्वक किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम मे निविदा पश्चात जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।

कृ.पू.उ.

5. सफल जल स्रोत की व्यवस्था सुनिश्चित करने के पश्चात् ही अग्रिम कार्य/व्यय कराया जावे।
6. अनुसूचित जनजाति (एसटी) बस्तियों को लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करे।
7. कार्य पूर्ण होने के पश्चात् यदि कोई बचत रहती है तो कार्य के उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः जनजाति विभाग को लौटाई जावे।
8. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@rajasthan.gov.in पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।

sd
(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय) I.A.S
आयुक्त

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/2019-20/8729-36 दिनांक : 05/03/2021
प्रतिलिपी :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर, उदयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा शासन की स्वीकृति संख्या-19/2019-20 में प्राप्त राशि में से राशि रु. 15.00 लाख की 80 प्रतिशत राशि रु. 12.00 लाख उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को हस्तांतरित करे।
5. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
6. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
7. विकास अधिकारी पंचायत समिति गोगुंदा जिला उदयपुर।
8. गार्ड फाईल।

10
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)

1. सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721-24 फेक्स : 0294-2428721

ई-मेल : comm.tad @ rajasthan.gov.in, Website www.tad.rajasthan.gov.in